बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)
website :- www.bsphcl.bih.nic.in
मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश संख्या– 278 / **दिनांकः–** 29-03-2022 /
H-IX/.विविध ऊर्जा ऑडिटोरियम–7501 / 2022

विषय :– राज्य योजाना (State Plan) के तहत बी0एस0पी0एच0सी0एल0 कॉलोनी स्थित नवनिर्मित ऊर्जा ऑडिटोरियम (Urja Auditorium) के आरक्षण, किराया एवं शर्त्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों, सरकारी विभाग/संस्थान, गैर सरकारी/निजी संस्था आदि के विभिन्न प्रयोजन यथा संस्कृतिक कार्यक्रम, स्थापना दिवस के आयोजन, संगोष्ठी, बैठक, सम्मेलन, प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य योजाना (State Plan) के तहत BSPHCL कॉलोनी, न्यू पुनाईचक, पटना में लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में दो मंजिला पूर्णतः वातानुकूलित एवं अग्निशमन तंत्र से युक्त ऊर्जा ऑडिटोरियम (Urja Auditorium) का निर्माण कराया गया है। इस ऊर्जा ऑडिटोरियम में भूतल में 624 सीट एवं प्रथम तल में 216 सीट को मिलाकर कुल 840 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा ऑडियो–विडियो यंत्र के साथ एक मुख्य सभागार निर्मित है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आवागमन हेतु 4 गेट एवं कुल 500 (250 दोपहिया एवं 250 चारपहिया) वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था है।

उक्त नवनिर्मित ऊर्जा ऑडिटोरियम के रख–रखाव/मरम्मति आदि कार्य हेतु संबंधित एजेन्सी यथा मेसर्स कलसी बिल्डकॉन प्रा0 लिमिटेड एवं होल्डिंग कंपनी के साथ अगले पाँच वर्ष के लिए अनुबंध है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा ऑडिटोरियम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थापना दिवस के आयोजनों, सरकारी/गैर सरकारी सम्मेलनों, संगोष्ठी, बैठक आदि हेतु आवश्यक सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु तत्काल संबंधित एजेन्सी यथा मेसर्स कलसी बिल्डकॉन प्रा0 लिमिटेड को Facilitator के तरह कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ताकि ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षणकर्त्ता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो एवं ऊर्जा ऑडिटोरियम में संस्थापित उपकरण/फर्नीचर की समुचित सुरक्षा हो सके।

अतः नवनिर्मित ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण, किराया एवं अन्य शर्त्तें संबंधी निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किया जाता है –

1 **ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण में प्राथमिकता–** ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के अपने प्रयोजन हेतु प्राथमिकता रहेगी। साथ हीं विशेष परिस्थिति में ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के अनुमोदनोपरान्त प्राथमिकाता होगी।

2. **ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु किराया राशि का निर्धारण–**

क्र० सं०	ऑडिटोरियम का स्थल	आरक्षण शुल्क	जी०एस०टी० दर (18%)	कुल राशि	जमानत की राशि
1	2	3	4	5	6
i.	सम्पूर्ण ऑडिटोरियम (भूतल एवं प्रथम तल के साथ 840 व्यक्तियों की क्षमता हेतु),	i. रू० 1,25,000/- + 18% GST प्रतिदिन ii.अतिरिक्त अवधि में प्रतिघंटा मूल किराया का 10 प्रतिशत अधिक राशि।	रू० 22,500/-	रू० 1,47,500/-	रू० 20,000/-

(ii) उपरोक्त निर्धारित दर तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। किराया की राशि, प्रावधान एवं शर्त्त आदि के समीक्षोपरान्त बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

नोटः– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के विभिन्न प्रकार के आयोजनों हेतु ऊर्जा ऑडिटोरियम का निःशुल्क आरक्षण किया जा सकेगा।

3. <u>ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण की प्रक्रिया –</u>

(i) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में क्रम, तिथि एवं समय अंकित कर संधारित किया जायेगा तथा ऊर्जा सभागार का आरक्षण ''पहले आयें पहले पायें (First Come First Get)'' पद्धति के अनुसार किया जायेगा।

(ii) ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण प्रयोजन तिथि को प्रातः 9:00 बजे दिन से रात्रि 9:00 बजे तक 12 घंटे के लिए होगा। इसके अतिरिक्त अवधि में प्रतिघंटा मूल किराया का 10 प्रतिशत अधिक राशि आवेदक द्वारा देय होगा।

(iii) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है परन्तु तब तक के लिए ऊर्जा सभागार के आरक्षण हेतु आवेदन उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय में भौतिक रूप से अथवा ईमेल sunilsinghbsphcl @gmail.com पर समर्पित किया जायेगा।

(iv) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उपर्युक्त निर्धारित किराया राशि एवं जमानत राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के केनरा बैंक में खाता संख्या–853101008297, IFSC Code CNRB0008531 में कैश/NEFT-RTGS (Details)/बैंक ड्राफ्ट (Details) के माध्यम से निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु आवेदक को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा तथा जमा राशि के money receipt की छायाप्रति उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय (प्रशाखा–IX) में समर्पित किया जायेगा। किराया राशि एवं जमानत राशि (security deposit) जमा करने के पश्चात ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा।

(v) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण में प्राप्त किराया राशि से हीं विद्युत विपत्र के मद की राशि एवं रख–रखाव/मरम्मति के मद की राशि का समायोजन किया जायेगा।

(vi) ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण आदेश महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), BSPHCL के आदेश के उपरांत निर्गत किया जायेगा।

(vii) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण संबंधी निर्गत आदेश की प्रति एवं किराया राशि/जमानत राशि (security deposit) के जमा रसीद (money receipt) की छायाप्रति समर्पित करने पर हीं कार्यपालक अभियंता–सह–सम्पदा पदाधिकारी, असैनिक प्रमंडल, न्यू पुनाईचक, पटना अथवा केयर टेकर के द्वारा आवेदक को ऊर्जा ऑडिटोरियम उपयोग हेतु प्रायोजन तिथि के दिन उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) आवेदक द्वारा ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के पश्चात अनिवार्यतः सम्पदा पदाधिकारी, असैनिक प्रमंडल, न्यू पुनाईचक, पटना को सौंपा जायेगा अन्यथा आवदेक द्वारा जमा किये गये जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के दौरान हुई क्षति से संबंधित प्रतिवेदन सम्पदा पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता (असैनिक) तत्काल बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर क्षति की राशि की वसूली जमानत राशि से शेष राशि आरक्षणकर्त्ता को लौटा दी जाएगी। क्षति की राशि जमानत की राशि से अत्यधिक होने की स्थिति में नियमानुसार शेष राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

(ix) ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के पश्चात भवन का प्रभार लौटाने के समय हीं सम्पदा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा ऊर्जा ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसका आकलन कर जमानत की यथोचित राशि लौटाने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ No Dues Certificate उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड को भेजा जायेगा जिसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी। तदुपरांत आवेदक को जमानत राशि लौटाने हेतु आदेश निर्गत कर लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड को प्राधिकृत किया जायेगा जो आवेदक से जमा राशि की मूल रसीद प्राप्त करने के उपरांत NEFT-RTGS के माध्यम से जमानत राशि आवेदक को लौटाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।